# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़।

## vYidkyhu fufonk lwpuk

i=kad% 732@4, fufonk fnukad 18-04-2011

1. महामहिम राज्यपाल महोदय उ.प्र. की ओर से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़, उ.प्र., लो.नि.वि. में (A.B.C.D.) श्रेणी में पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित करते हैं बिडर (Bidder) किसी अथवा सभी कार्यों हेतु बिड प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.

| d0 l0 | tuin dk uke | dk;Z dk uke | ykxr ¼yk[k esa½ | /kjksgj /kujkf'k | fufonk i=i= dk ewY; | dk;Z iw.kZ djus dh vof/k | dk;Zdkjh vf/k"kklh vfHk;Urk dk;kZy; dk irk | v/kh{k.k vfHk;Urk dk;kZy; dk irk | ftykf/kdkjh dk;kZy; dk irk | eq[; vfHk;Urk dk;kZy; dk irk | iatkc us'kuy cSad dk irk | Bsdsnkj dh Js.kh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 11 |
| MkW0 vEcsMdj xzke lHkk fodkl ;kstukUrxZr o"kZ 2011&12 esa vEcsMdj xzkeksa ds vUnj iM+us okysetjksa dks lEifxy dufDVfoVh ls tksM+us gsrq uo fuekZ.k dk;ZA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | आजमगढ़ | रजादेपुर अजमतगढ़ मार्ग कि0मी0 2 से अम्मा आईमा अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग | 3.98 | 40000 | 150+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़ | अधीक्षण अभियन्ता, आजमगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0 आजमगढ़ | आजमगढ़ | मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़ | पंजाब नेशनल बैंक, मुहल्ला शदावर्ती, पुरानी सब्जीमण्डी, चौक आजमगढ़ | ए.बी.सी.डी. |
| 2 | | ए0डी0 रोड कि0मी0 14 से सोहरैया वाजिद सम्पर्क मार्ग | 21.22 | 43000 | 300+500 + ट्रेड टैक्स | 60 दिन | | | | | | आरक्षित अनु0जाति /अनु0 जन जाति श्रेणी– ए. बी.सी.डी. |
| 3 | | सी0आर0एफ0 मार्ग कि0मी0 9 सिकरौरा सामान्य बस्ती सम्पर्क मार्ग | 8.87 | 89000 | 225+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | ए.बी.सी.डी. |
| 4 | | सी0आर0एफ0 मार्ग कि0मी0 9 सिकरौरा अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग | 9.45 | 19000 | 225+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | आरक्षित अनु0जाति /अनु0 जन जाति श्रेणी– ए. बी.सी.डी. |
| 5 | | अन्जान शहीद पकवाईनार मार्ग कि0मी0 5 से गड़ेरीपट्टी अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग | 1.97 | 20000 | 75+500+ ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | ए.बी.सी.डी. |
| 6 | | ब्रम्हौली ध्यान मार्ग से अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग | 2.96 | 30000 | 150+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | ए.बी.सी.डी. |
| 7 | | कप्तानगंज अहिरौला मार्ग कि0मी0 12 से खालिसपुर नई बस्ती सम्पर्क मार्ग। | 26.38 | 264000 | 300+500 + ट्रेड टैक्स | 60 दिन | | | | | | ए.बी.सी.डी. |
| 8 | | खालिसपुर हरिजन बस्ती से खालिसपुर गोदाम बस्ती सम्पर्क मार्ग | 5.31 | 53000 | 225+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | ए.बी.सी.डी. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | पैड़िया कुशमहरा मार्ग से खालिसपुर अनु0बस्ती सम्पर्क मार्ग | 33.75 | 338000 | 300+500 + ट्रेड टैक्स | 60 दिन | | | | | | ए.बी.सी. डी. |
| 10 | | पैड़िया कुशमहरा मार्ग से खालिसपुर धोबी बस्ती सम्पर्क मार्ग | 5.91 | 59000 | 225+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | ए.बी.सी. डी. |
| 11 | | पैड़िया कुशमहरा मार्ग से खालिसपुर सामान्य बस्ती सम्पर्क मार्ग | 42.40 | 424000 | 300+500 + ट्रेड टैक्स | 60 दिन | | | | | | ए.बी.सी. डी. |
| 12 | | गोपालगंज शाहपुर मार्ग से भैसासुर अनुसूचित बस्ती पश्चिमी सम्पर्क मार्ग | 7.48 | 15000 | 225+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | आरक्षित अनु0जाति /अनु0 जन जाति श्रेणी– ए. बी.सी.डी. |
| 13 | | गोपालगंज शाहपुर मार्ग से भैसासुर सामान्य बस्ती सम्पर्क मार्ग | 3.68 | 37000 | 150+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | ए.बी.सी. डी. |
| 14 | | देउरपुर कोयलसा से सरवनपुर अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग | 7.97 | 16000 | 225+500 + ट्रेड टैक्स | 30 दिन | | | | | | आरक्षित अनु0जाति /अनु0 जन जाति श्रेणी– ए. बी.सी.डी. |
| 15 | | निरीक्षण भवन जीयनपुर में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति | 2.00 | 20000 | 75+500+ ट्रेड टैक्स | 15 दिन | | | | | | ए.बी.सी. डी. |
| 16 | | निरीक्षण भवन अतरौलिया में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति | 1.00 | 10000 | 50+500+ ट्रेड टैक्स | 15 दिन | | | | | | ए.बी.सी. डी. |
| 17 | | निरीक्षण भवन अहिरौला में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति | 1.00 | 10000 | 50+500+ ट्रेड टैक्स | 15 दिन | | | | | | ए.बी.सी. डी. |

3. प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुए कालम–7 में वर्णित है।
4. निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी एक बार प्रस्तुत की गयी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है।
5. कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र (Bidding Document) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी एवम मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं पंजाब नेशनल बैंक, मुहल्ला शदावर्ती, पुरानी सब्जीमण्डी, चौक आजमगढ़ से जैसा कि कालम 8, 9, 10 एवं 11 में क्रमशः पते अंकित है, से fnukd 27-04-2011 ls 03-05-2011 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में गैर वापसी शुल्क रू0 500.00 (पांच सौ मात्र) स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम सं. 6 में दर्शाया गया है, में नगद या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा। ठेकेदार जो अन्य जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं वह जहां से निविदा प्रपत्र खरीदें जायेंगे। वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र (Bidding Document) पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से मंगाए जाने की अवस्था में ठेकेदार को fnukd - 28-04-2011 को सायं 4.00 से पूर्व रू0 200 अतिरिक्त जमा करने होंगे। डाक से निविदा मंगाने की अवस्था में डाक वितरण अथवा प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र वेबसाइट www.uppwd.up.nic.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिसके लिए रू0 500/– का स्टेशनरी शुल्क एवं निविदा प्रपत्र शुल्क प्रति कार्य हेतु जैसा कि कालम 6 में दर्शाया गया है, में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आजमगढ़ के पक्ष में भुगतान हेतु देय होगा जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। निविदा प्रपत्र (Bidding Document) वेबसाइट से डाउनलोड की अवस्था में ड्राइंग सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है, से सम्बन्धित कार्य हेतु प्राप्त की जा सकती है।
6. वेबसाइट पर निवदा प्रपत्र डाउनलोड की अवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध निविदा प्रपत्र प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. निविदाएं कार्यकारी अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जिलाधिकारी अथवा मुख्य अभियनता के कार्यालय में जिनके पते क्रमशः 8, 9, 10, 11 में अंकित हैं, को fnukd 04-05-2011 दोपहर 3.00 बजे तक निविदा पेटिका में डाली जायेगी, जिनकी तकनीकी निविदायें अगले कार्यकारी दिवस fnukd 05-05-2011 को दोपहर 12.30 बजे जिलाधिकारी के कार्यालय (जैसा कि कालम नं. 10 में दर्शाया गया है) में निविदादाताओं (जो उपस्थित होना चाहते हैं) के समक्ष खोली जायेगी तथा निविदा प्राप्ति अथवा खेलने की तिथि पर कार्यालय यदि बंद

होता है तो निविदायें अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय व स्थान पर प्राप्त और खोली जायेगी तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी।

8. प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जैसा कि कालम में दर्शाया गया है, को संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एन.एस.सी./राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 आजमगढ़ के पक्ष में बंधक होगी, जो कि निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।
9. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relations & There Spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदार का एफीडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत हैं।
10. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवा निवृत्ति के पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवा निवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेगें तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र तथा अन्य विवरण जैसे अर्हता, कार्य की विशिष्टियां, ड्राइंग विभिन्न कार्यों के शिड्यूल आफ क्वान्टिटी जो कार्य किया जाना है के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जैसा कि कालम 8 में दर्शाया गया है, को कार्य समय 11.00 बजे से 4.00 बजे तक fnukd 27-04-2010 l 03-05-2011 तक देखी जा सकती है।
12. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
13. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कौंसिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
14. दस लाख से ऊपर के कार्यों के लिए प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए (संलग्नक–1) के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा पर सारी सूचनाएं एफीडेविट के रूप में देनी होगी जिससे कि निविदादाता की बिड कैपीसिटी के लिए स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बिड क्षमता सेक्शन 3 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आंकलित की जायेगी, जो निविदादाता आवश्यक बिड कैपीसिटी को पूर्ण नहीं करते हैं उनकी निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनाएं निर्धारित प्रोफार्मा (T-4, T-5, T-6) जमा करना अनिवार्य होगा।
16. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा–3 की उप धारा–1 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना एस–61011/9/95–आर0डब्लू0 दिनांक 12.10.1996 के आदेश के अनुपालन में प्राधिकृत निर्माण लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर की वसूली ठेकेदार के देयक से की जायेगी।

¼b0 ,0,u0 flag½
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
आजमगढ़